(204) (80)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R 2368 - दो/12

रामजीवन तनय स्व0 श्री रामदास कुशवाहा निवासी कुठुलिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

रामकृपाल तनय सुखलाल कुशवाहा निवासी कुठुलिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ....गैर निगरानीकर्ता

2368-दो/12

अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह गहरवार द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि0 17.7.2012

17.7.12

25.7.12

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा म0प्र0 के निगरानी प्रकरण क्र. 4/अ 6 अ/ निगरानी / 2011–12 आदेश दिनांक 20.06.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :–

अ. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर के यहाँ निगरानीकर्ता द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 257/ अ 6 अ/ 2010–11 आराजी नम्बर 113 स्थित मोहल्ला कुठुलिया के अंश रकबा 0.04 ए. में दर्ज कब्जा लिपिकीय त्रुटि से खसरे में दर्ज करने से छूट गया को पुनः पूर्वानुसार खसरा में दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता ने आवेदन पेश किया। प्रकरण आगे यह था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद व्यवहार क्रमांक 99 ए./88 न्यायाधीश वर्ग–1 रीवा के न्यायालय में पेश किया था जिसमें विवादित भूमि व भवन का स्वामी निगरानी कर्ता को पाया गया तथा निगरानी कर्ता को भूमिस्वामी घोषित करते हुए गैर निगरानीकर्ता के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि व भवन की निषेधाज्ञा की डिकी दिनांक 28.02.2000 को पारित

रामजीवन

(80)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R2368-II/12 जिला— रीवा

रामसजीवन कुशवाहा विरूद्ध रामकमल कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री प्रदीप सिंह बघेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/अ63 (प्रा०) 11-12 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	